

बिहार शराबबंदी की उपलब्धि

चर्चा में क्यों?

लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित नए शोध के अनुसार, **वर्ष 2016 में** बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत के 2.4 मिलियन मामलों तथा अंतरंग साथी के वरिद्ध हिस्से के **2.1 मिलियन मामलों** को नियंत्रित किया गया।

- यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रतिबंध ने राज्य में **1.8 मिलियन** पुरुषों को अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका है।

मुख्य बिंदु:

- **अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान**, गरीबी, स्वास्थ्य और पोषण प्रभाग, अमेरिका सहित शोधकर्ताओं की एक टीम ने राष्ट्रीय तथा जिला स्तर के स्वास्थ्य एवं घरेलू सर्वेक्षणों के आँकड़ों का विश्लेषण किया।
- **सख्त शराब वनियमन नीतियाँ** बार-बार शराब पीने वालों और अंतरंग साथी हिस्से के कई पीढ़ियों के लिये एक बड़े जनसंख्या स्तर पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती हैं।
- अप्रैल 2016 में, **बिहार नषिध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016** ने पूरे राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री तथा खपत पर लगभग पूर्ण रोक लगा दी।
 - इसके सख्त प्रवर्तन ने प्रतिबंध को "स्वास्थ्य और घरेलू हिस्से के परिणामों पर सख्त शराब प्रतिबंध नीति के वास्तविक कारण प्रभावों का अनुमान लगाने के लिये एक आकर्षक स्वाभाविक प्रयोग" बना दिया।
- प्रतिबंध से पूर्व **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 3, 4 और 5** के अनुसार, बिहार में पुरुषों द्वारा शराब पीने की दर 9.7% से बढ़कर 15% हो गई थी, जबकि **पड़ोसी राज्यों में यह 7.2% से बढ़कर 10.3%** हुई थी।
- प्रतिबंध के बाद भावनात्मक हिस्से में 4.6% और यौन हिस्से में 3.6% की कमी देखी गई है।

नशे से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) (अनुच्छेद 47):**
 - अनुच्छेद 47 में उल्लेख किया गया है कि "विशेष रूप से, **राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों** को छोड़कर इनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिये नियम बनाएगा।
 - जबकि DPSP अपने आप में कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि राज्य को ऐसी स्थितियाँ स्थापित करने की आकांक्षा रखनी चाहिये जिसके तहत नागरिक अच्छा जीवन जी सकें।
 - इस प्रकार, शराब को संवैधान और विस्तार से भारतीय राज्य द्वारा एक अवांछनीय बुराई के रूप में देखा जाता है जिसे वनियमित करने की आवश्यकता है।
- **सातवीं अनुसूची:**
 - **संवैधान की सातवीं अनुसूची** के अनुसार, शराब एक राज्य का विषय है, यानी, राज्य विधानमंडलों के पास इसके संबंध में कानून का मसौदा तैयार करने का अधिकार और ज़िम्मेदारी है, जिसमें "मादक शराब का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद तथा बिक्री" शामिल है।
 - इस प्रकार, शराब से संबंधित कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं, जो नषिध और नज्दी बिक्री के बीच पूरे स्पेक्ट्रम में आते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को संदर्भित करती है, चाहे वह घर, परिवार या घरेलू इकाई की सीमा के भीतर शारीरिक, भावनात्मक, यौन या आर्थिक हो।



राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS), 2019-2021

- ⤵ 29.3% विवाहित महिलाओं ने घरेलू/यौन हिंसा का अनुभव किया
- ⤵ 3.1% गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा
- ⤵ 87% विवाहित महिलाओं, जो वैवाहिक हिंसा की शिकार हुईं, ने मदद नहीं मांगी
- ⤵ 32% विवाहित महिलाओं ने **शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा** का अनुभव किया

भारत में कानूनी ढाँचे

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA)	■ इसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल है ■ सुरक्षा, निवास और अनुतोष हेतु विभिन्न आदेश प्रदान करता है
भारतीय दंड संहिता, 1860	■ धारा 498A पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा की गई क्रूरता से संबंधित है ■ क्रूरता, उत्पीड़न या यातना के कृत्यों को अपराध घोषित करता है
दहेज निषेध अधिनियम, 1961	■ यह दहेज देने या दहेज लेने को अपराध घोषित करता है
दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013	■ घरेलू हिंसा के मामलों में यौन उत्पीड़न से संबंधित नए अपराधों को शामिल करने के लिये IPC की धारा 354A में संशोधन किया गया।
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990	■ महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है और घरेलू हिंसा से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006	■ बाल विवाह को रोकना और बाल वधू के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकना।

वैश्विक पहलें

- ⤵ **महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर केंद्रित 'संधि' (CEDAW):** वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया
 - ⊗ जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना
- ⤵ **महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (DEVAW):** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को स्पष्ट रूप से संबोधित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय उपकरण
 - ⊗ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है
- ⤵ **सुरक्षित शहर और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान:** संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम
 - ⊗ सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न एवं हिंसा के अन्य रूपों को रोकना और उन पर प्रतिक्रिया देना
- ⤵ **बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995):** हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिये सरकारों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों की पहचान करता है
- ⤵ **SDG 5 (लैंगिक समानता):** प्रत्येक स्थान पर सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना



Drishti IAS

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/achievement-of-bihar-alcohol-ban>

